पत्रांक — बी० / परि०-07-1001 / 2010 ....

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अफज़ल अमानुल्लाह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्ष
सचिव, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद्
संयुक्त निबंधक (नयाचार) उच्च न्यायालय, पटना

पटना--15, दिनांक—17 जून, 2010

महोदय,

बिहार राज्य अतिथि नियमावली 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य अतिथि घोषित महानुभावों के लिए आवासन, परिवहन आदि की व्यवस्था मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नयाचार शाखा द्वारा किया जाता है।

राज्य अतिथियों के आवासन की व्यवस्था पटना में राज्य अतिथिशाला एवं पटना परिसदन के अतिरिक्त जिला मुख्यालय, परिसदनों एवं अन्यत्र सम्बंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

जो महानुभाव "राज्य अतिथि" घोषित नहीं होते हैं उनके आवासन, परिवहन की व्यवस्था मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

विभिन्न विभागों एवं अनेक संस्थानों से आगत महानुभावों के लिए परिवहन एवं आवासन की व्यवस्था हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से अनुरोध किया जाता है जो सम्यक नहीं है। इस संदर्भ में यह अपेक्षित है कि सम्बंधित विभाग, निकाय एवं अन्य संस्थायें वैसे महानुभावों के लिए आवासन एवं परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने का कष्ट करें, जिन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा राज्य अतिथि घोषित नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन,

ह० 16/6/10

(अफज़ल अमानुल्लाह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :— बी० / परि०—07—1001 / 2010....580....पटना—15, दिनांक—17 जून, 2010

प्रतिलिपि :— सभी जिला पदाधिकारी एवं प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 16/6/10

सरकार के प्रधान सचिव।

o/c

16/6